पंजीकृत

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 15 /12-1(2) दिनांक 02/07/2022::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड
पौड़ी।

विषय :– **जनपद–रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढना–नगेला–भेंत–एकलिंग–कण्डवालगांव–सुनारगांव–धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.750 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/39452/2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की दक्षिणी जखोली रेंज के लौंगा क0सं0–11 व 12 में 1.750 है0 आरक्षित वन भूमि में टिहरी घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढना–नगेला–भेंत–एकलिंग–कण्डवालगांव–सुनारगांव–धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/39452/2019) निर्माण हेतु कुल 1.750 है0 वन भूमि के एवज में 3.50 है0 सिविल वन भूमि को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक–48/छब्बीस–10/2020–21 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–बुढ़ना, रा0उ0नि0क्षे0–बुढ़ना, तहसील–जखोली, जनपद–रुद्रप्रयाग के ज0वि0र0 खतौनी खाता की श्रेणी–9(3)ङ बंजर के खतौनी खाता संख्या–103 के खसरा संख्या–1, रकवा–1.829 है0, खसरा संख्या–3, रकवा–1.196 है0 तथा खसरा संख्या–6, रकवा–0.870 है0, मध्ये रकवा–0.475 है0 अर्थात् कुल रकवा–3.50 है0 सिविल भूमि को वन विभाग, उत्तराखण्ड के नाम आवंटित/हस्तान्तरित की गई है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित 3.50 है0 बंजर भूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 यथा संशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–16, वर्ष–1927) की धारा–29 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाना है। उक्त हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट प्रारुप इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यदि आप सहमत हों तो उक्त अधिसूचना का ड्राफ्ट शासन को प्रेषित करना चाहें। चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि का डिजिटल एवं जियोरिफरेन्स मानचित्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नक :– चयनित भूमि के मानचित्र व अधिसूचना का ड्राफ्ट।
(04 प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।

प्रतिलिपि :–
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण) इन्दिरा नगर फारेस्ट कलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग–2

संख्या– /........................देहरादून : दिनांक :– , 2022

ड्राफ्ट अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड, जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत टिहरी घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढना–नगेला–भेंत–एकलिंग–कण्डवालगांव–सुनारगांव–धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग को हस्तान्तरित लौंगा क0सं0–11 एवं 12 की 1.750 है0 कुल 1.750 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग को ग्राम–बुढ़ना सिविल भूमि उपलब्ध कराई गई, जो राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ङ बंजर भूमि क्षेत्रफल 3.50 है0 जिसका विवरण नीचे की सारणी में अंकित है, को भारतीय वन अधिनियम–1927 यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति देते हैं।

भाग–1 क्षेत्रफल विवरण (Area Statement)

क्र.सं.	जनपद	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है0)	चयनित क्षेत्रफल (है0)
1	रुद्रप्रयाग	बुढ़ना	103	1	1.829	1.829
2				3	1.196	1.196
3				6	0.870	0.475
कुल योग					**3.695**	**3.50**

भाग–2 सीमा विवरण (Boundary Description)

खसरा संख्या–1, 3 एवं 6– सीमा स्तम्भों की कुल संख्या–1 से 13 निम्नांकित जी0पी0एस0 के अनुसार।

ID	Longitude	Latitude	Distance (mtr.)
1	30°23'11.52"N	78°52'17.46"E	0
2	30°23'10.71"N	78°52'20.22"E	75
3	30°23'8.67"N	78°52'25.64"E	163
4	30°23'10.72"N	78°52'26.82"E	71
5	30°23'12.06"N	78°52'24.55"E	75
6	30°23'13.45"N	78°52'24.44"E	43
7	30°23'13.63"N	78°52'21.47"E	76

ID	Longitude	Latitude	Distance (mtr.)
8	30°23'13.69"N	78°52'19.85"E	46
9	30°23'14.09"N	78°52'17.10"E	78
10	30°23'16.03"N	78°52'17.73"E	65
11	30°23'18.19"N	78°52'14.72"E	100
12	30°23'15.24"N	78°52'14.35"E	91
13	30°23'13.05"N	78°52'13.69"E	72
Distance Between pillar 13-1			118

मानचित्र (Map) Khasra No.-1, 3 & 6 Area 3.50 ha.

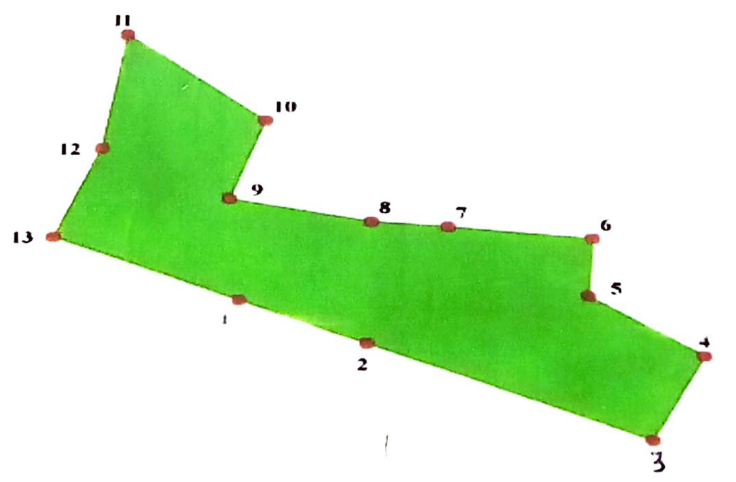

P.T.O

भाग–3 अधिकार एवं रियायतें (Rights and Concession)

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियतों के दावों से मुक्त है।

प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

संख्या :– /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
7. उप जिलाधिकारी, जखोली।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण राजपत्र के विधाई परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

डिजिटल मैप – जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण

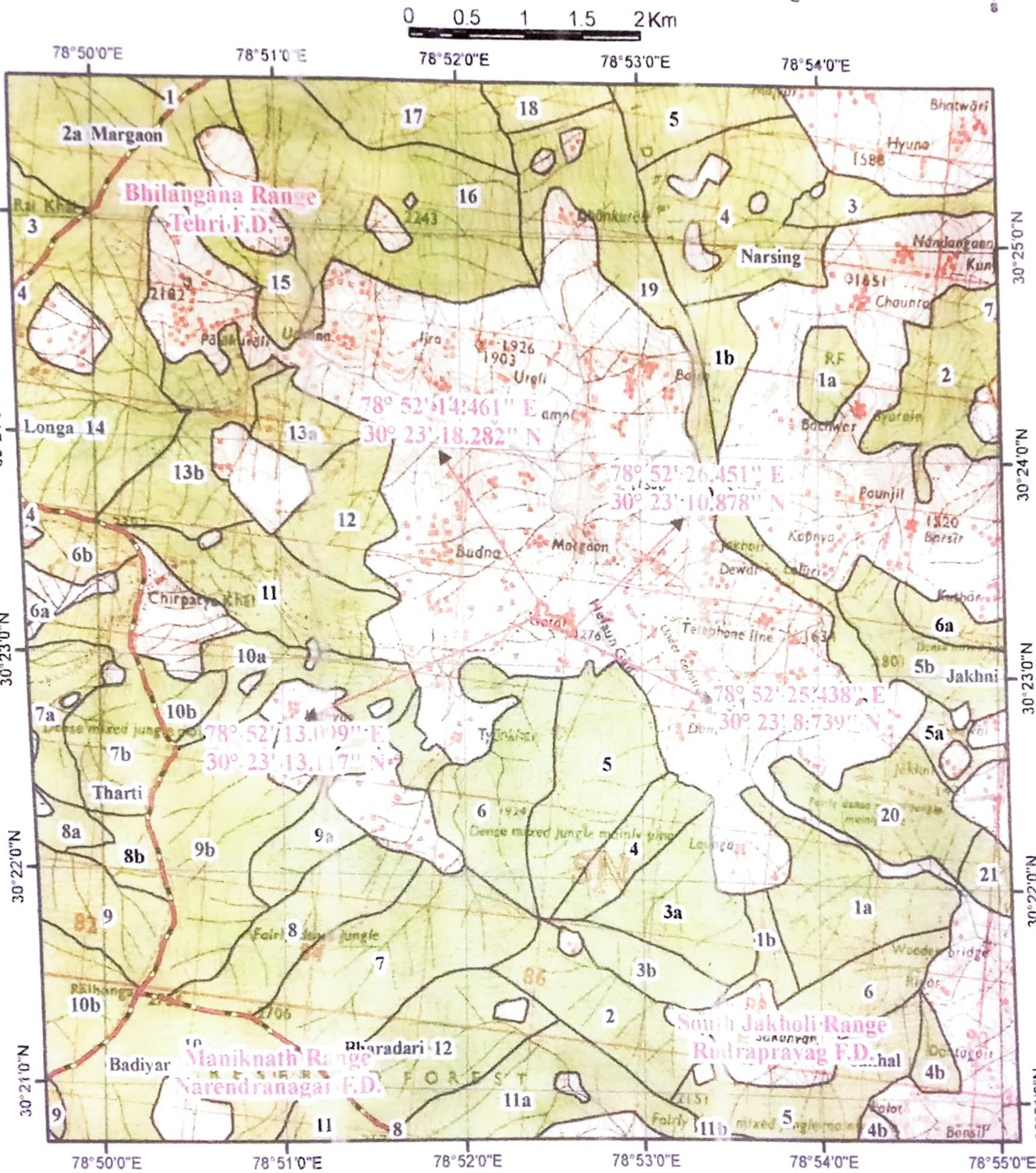

Legend

- Proposed Ca Land
- Forest Reserve Area
- Forest Reserve Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

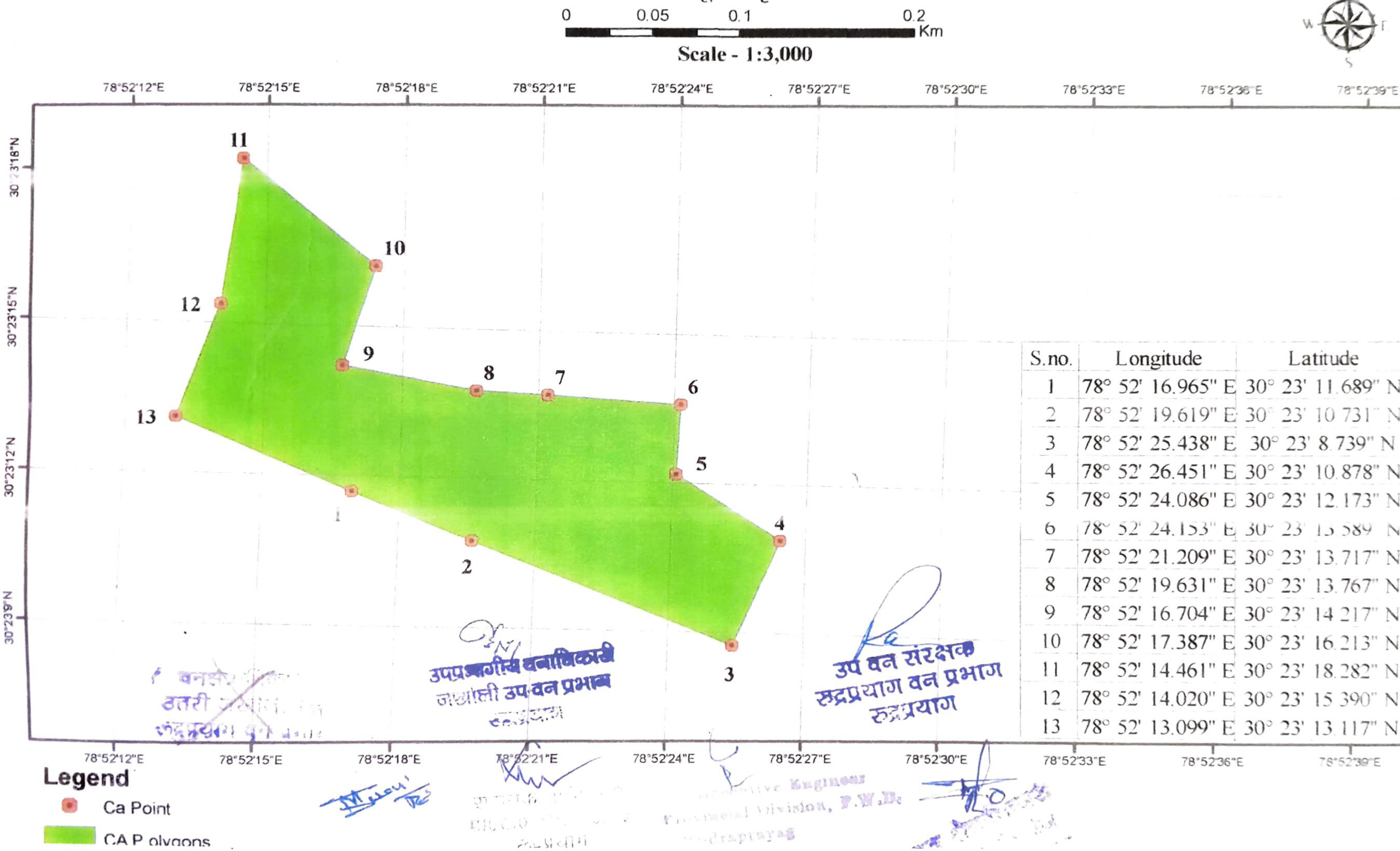

S.no.	Longitude	Latitude
1	78° 52' 16.965" E	30° 23' 11.689" N
2	78° 52' 19.619" E	30° 23' 10.731" N
3	78° 52' 25.438" E	30° 23' 8.739" N
4	78° 52' 26.451" E	30° 23' 10.878" N
5	78° 52' 24.086" E	30° 23' 12.173" N
6	78° 52' 24.153" E	30° 23' 13.589" N
7	78° 52' 21.209" E	30° 23' 13.717" N
8	78° 52' 19.631" E	30° 23' 13.767" N
9	78° 52' 16.704" E	30° 23' 14.217" N
10	78° 52' 17.387" E	30° 23' 16.213" N
11	78° 52' 14.461" E	30° 23' 18.282" N
12	78° 52' 14.020" E	30° 23' 15.390" N
13	78° 52' 13.099" E	30° 23' 13.117" N

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.
Rudraprayag

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स न0 – 01364 – 233505::
पता – माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :– 2083 / 12-1(2) दिनांक 19/01/2022::

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण)
इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद–रूद्रप्रयाग के अंतर्गत प्रस्तावित टिहरी घनस्याली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढना–नगेला–भेंत–एकलिंग–कण्डवाल गांव–सुनार गांव–मराड गांव होते हुए धान्यौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.750 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/39452/2019**

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/04/2021/एफ0सी0/2205 दिनांक 29.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक–157/16सी0 दिनांक 13.01.2022 के द्वारा प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार इस कार्यलय को प्रेषित की है, जो कि निम्न प्रकार है–

शर्त संख्या–1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।

शर्त संख्या–2 परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी, का अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या–3(क) शर्त अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या–3(ख) शर्त का अनुपालन किया जायेगा। ग्राम बुढना सिविल सोयम भूमि के खाता संख्या–103 के खसरा संख्या–1, 3 एवं 6 कुल रकवा–3.50 है0 को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रुपान्तरित कर दिया गया है, प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

शर्त संख्या–3(ग) संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

शर्त संख्या–4 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण की लागत वन विभाग के पास जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–3)**

शर्त संख्या–5(क) NPV की धनराशि जमा की जा चुकी है, प्रति संलगन हैं। **(संलग्नक –4)**

शर्त संख्या–5(ख) NPV की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण पत्र संलग्न। **(संलग्नक–5)**

शर्त संख्या–6 प्रस्तावित मोटर मार्ग में वास्तव में वन भूमि पर प्रभावित होने वाले (0–10 व्यासवर्ग के 03 वृक्ष + अन्य व्यासवर्ग के 76 वृक्ष) कुल 79 वृक्षों का पातन किया जाना है। परिवेश पोर्टल के पार्ट–।। के पैरा–4 में त्रुटिवश **(01 वृक्ष उत्तीस प्रजाति >150 cm व्यासवर्ग का अंकित नहीं हुआ है)** कुल 80 वृक्ष अंकित हुये हैं। अतः वन भूमि पर प्रभावित कुल 79 वृक्षों का सत्यापन कर दिया गया है, जिनका पातन निहित है।

शर्त संख्या–7 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। वन निगम से पेड़ों के छपान/कटान/ढुलान की धनराशि की मांग का पत्र प्राप्त होने पर धनराशि वन निगम के खाते में जमा कर दी जायेगी।

क्रमश :– 2 पर

7/C

शर्त संख्या–8 शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या–9 शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या–10 FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। **(संलग्नक–6)**

शर्त संख्या–11 आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों का रोपण किया जायेगा। **(संलग्नक–7)**

शर्त संख्या–12 शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या–13 शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या–14 शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या–15 शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या–16 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)**

शर्त संख्या–17 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर सीमांकन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)**

शर्त संख्या–18 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

शर्त संख्या–19 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

शर्त संख्या–20 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

शर्त संख्या–21 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। वन संरक्षण अधिनियम–1980 का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–10)**

शर्त संख्या–22 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। वन्य जीवों को क्षति न पहुंचाने का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11)**।

शर्त संख्या–23 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–12)**

शर्त संख्या–24 शर्त का अनुपालन किया जायेगा। ।

शर्त संख्या–25 अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक 13.01.2022 को अपलोड कर दी गयी है।

<u>संलग्न :– उपरोक्तानुसार। (मूल में)</u>

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 2083 /दिनांकित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

PWD
UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in   Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 157 /16सी   दिनांक 13/01/2022

सेवामें,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– **वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/39452 /2019 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी घनसाली तिलवाडा मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढना नगेला भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भ– **भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/04/2021/एफसी/1205 दिनांक 29.01.2021 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–
प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित स्थल से प्रभावित होने वाले वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु ग्राम बुढना के सिविल सोयम भूमि खसरा नं0 103 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षो के रख रखाव हेतु (रू0 11,80,144.00 एवं एनपीवी हेतु कुल वांछित धनराशि रू0 14,78,750) **कुल रू0 26,58,894.00** (छब्बीस लाख अट्ठावन हजार आठ से चौरानब्बे रूपये) मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarakhand A/c No. CAMPAUK6139452930 IFSC code UBIN0534498, Union bank of India 52 Sundar Nagar New Delhi Pin 110003 में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, **(चालान की प्रति संलग्न– संलग्नक–1)**, ग्राम बुढना की सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम **हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या 48/छब्बीस–10/2020–21 दिनांक 04.10.2021 द्वारा** कर दिया गया है (जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग का स्वीकृति पत्र एवं दाखिल–खारिज की प्रति **संलग्न है–संलग्नक–2)।**

1. वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी, का अनुपालन किया जायेगा।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः–**
   (क)– वन विभाग से सम्बन्धित है।
   (ख)– गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित कर लिया गया है। **(भूमि के हस्तान्तरण व नामान्तरण की प्रति संलग्नक–2)**
4. प्रतिपूरक वनीकरण की लागत जमा कर दी गयी है **(संलग्नक–1)।**
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**
   (क) प्रस्ताव के तहत 1.75 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध मूल्य जमा कर लिया गया है **(संलग्नक–1)** ।
   (ख)– एनपीवी की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–3)।**
6. **Related to DFO**
7. अनुपालन किया जायेगा। वन निगम से पेडों के छपान/कटान/ढुलान की की धनराशि की मांग का पत्र प्राप्त होने पर उक्त धनराशि वन निगम के खाते में जमा कर दी जायेगी)।
8. (वन निगम / वन विभाग से सम्बन्धित है)।
9. अनुपालन किया जायेगा।

13-1-2022

10. एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा–**(संलग्नक–4)**।
11. सड़क के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा। **(संलग्नक–5)**
12. अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुपालन किया जायेगा।
14. अनुपालन किया जायेगा।
15. अनुपालन किया जायेगा।
16. अनुपालन किया जायेगा। रसोई गैस / कैरोसिन का प्रमाण पत्र संलग्नक है **(संलग्नक–6)**।
17. भूमि की सीमांकन आरसीसी पिलरों का प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–7)**।
18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
19. वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
20. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी–**वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रमाण पत्र संलग्न है–संलग्नक–8)**।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी–**वन्य जीवों को क्षति न पहुंचाने का प्रमाण पत्र संलग्न है–संलग्नक–9)**।
23. अनुपालन किया जायेगा। मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–10)**।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि यदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी–**अनुपालन किया जायेगा**।
25. अनुपालन आख्या E-Portal (hppps://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त पत्र की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

13/1/22

(इं0 निर्भय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

संलग्नक-2

कार्यालय जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।

संख्या– 1612 /26–10(2020–21) दिनांक रूद्रप्रयाग दिसम्बर, 27 2021

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

5010/6 (1)
30/12/2021

विषयः– **ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9(3)ड़ बंजर के खतौनी खाता संख्या–103 में वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश 48/छब्बीस–10/2020–21 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढना नगेला भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव, घुराणगांव होते हुये धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे0 भूमि के एवज में ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 103 के खसरा नं0– 1 रक्बा 1.829 हे0, खसरा नं0– 3 रक्बा 1.196 हे0 तथा खसरा नं0–6 रक्बा 0.870 हे0 मध्ये 0.475 हे0 कुल रक्बा 3.500 हे0 चयनित/प्रस्तावित भूमि उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त आदेश के क्रम में तहसीलदार जखोली द्वारा अपने पत्र संख्या– 54/र0का0–अमलदरामद/ 2021–22 दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 के क्रम में अवगत कराया गया है कि रा0उ0नि0 बुढना द्वारा ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी के खतौनी खाता संख्या– 103 के खसरा नं0– 1 रक्बा 1.829 हे0, खसरा नं0– 3 रक्बा 1.196 हे0 तथा खसरा नं0–6 रक्बा 0.870 हे0 मध्ये 0.475 हे0 कुल रक्बा 3.500 हे0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किया गया है।

अतएव उक्त ज0वि0र0 खतौनी की नकल की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– अधि.अभि., प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग।
2– उप जिलाधिकारी जखोली।

अपर जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Photocopy attested

प्रेषक,

तहसीलदार,
जखोली।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

संख्या :– 64 /र0का0–अमलदरादम/2021–22 दिनांक 21, दिसम्बर, 2021

विषय :– ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9(3)ड़ बंजर के खतौनी खाता संख्या–103 में वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या–48/छब्बीस–10/2020–21 दिंनांक : रूद्रप्रयाग : 04 अक्टूबर, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9(3)ड़ बंजर के खतौनी खाता संख्या–103 में वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि राजस्व उप निरीक्षक बुढना द्वारा ग्राम बुढना रा0उ0नि0 बुढना तहसील जखोली जनपद रूद्रप्रयाग की ज0वि0र0 खतौनी खाता की श्रेणी 9(3)ड़ बंजर के खतौनी खाता संख्या–103 के खसरा संख्या–1 रकवा 1.629 है0, खसरा संख्या–3 रकवा 1.196 है0 तथा खसरा संख्या–6 रकवा 0.870 है0 मध्ये रकवा 0.475 है0 अर्थात् कुल 3.500 है0 सिविल सोयम भूमि भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदराम्द किया गया, खतौनी की नकल, मय नक्शा संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

Photocopy attested

AS

तहसीलदार
जखोली।

संलग्नक -2

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद–रूद्रप्रयाग के अंतर्गत प्रस्तावित टिहरी घनस्याली मोटर मार्ग के फतेड़ू से रा0इ0का0 बुढना–नगेला–भेंत–एकलिंग–कण्डवाल गांव–सुनार गांव–भराड गांव होते हुए धान्यौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.750 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/39452/2019

''प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–बुढ़ना सिविल, खाता संख्या–103 के खसरा संख्या–1, 3 एवं 6 कुल रकवा 3.50 है0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।''

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संलग्नक-3

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/39452/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39452/2019) Constructon of Fatedu to GIC Budhana Nagela Bhet Ekling Kandwalgaon Sunargaon Dhunargaon to Dhanyu Motor road	ROAD394522019930	6139452930	29 Jan 2021	CA: 1180144/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1478750/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2658894/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 10 Mar 2021 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 07 Aug 2021 Transaction Date: 10 Aug 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311912331210JPANSDemandnote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD394522019930)
2	FP/UK/ROAD/10591/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10591/2015) Construction of Thapla name tok to augustyamuni Junior High School Mayali under Distt.Sector	ROAD105912015984	6110591984	13 Feb 2018	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 218453/-, tree plantation: 790000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1008453/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 18 Mar 2018 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 07 Nov 2020 Transaction Date: 05 Dec 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/31114123612148QAITDemandNote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD105912015984)

Photocopy attested

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

Photocopy attested

A.F.

सलग्नक- 5 Page No. (1)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--18 **Dated--**27/05/2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.7500 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of road from Fatudu to GIC Budhana-Nagela-Bhet-Ekling-Kandwalgaon-Sunargaon-Dhuraugaon to Dhanyoun Motor Road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Budhana** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.75 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to ...annexure 23.2

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

District Magistrate
Rudraprayag

Photocopy attested

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mangesh Ghildiyal** (I.A.S.) District Magistrate **Rudraprayag** on date 27/05/2019 at time 4:30 PM...at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **1.7500 hect** for the **Construction of road from Fatudu to GIC Budhana-Nagela-Bhet-Ekling-Kandwalgaon-Sunargaon-Dhurangaon to Dhanyoun Motor Road under District Sector** (3.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 27/05/2019

Photocopy attested
As.

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)
District Magistrate-cum-Chairman, District Level Committe, Rudraprayag

District Magistrate
Rudraprayag

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– ...बुढना....................
तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण) परियोजना के निर्माण हेतु (1.7500 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **1.7500 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत —बुढना— द्वारा दिनांक...1/11/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ———————— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत बुढना
ह0 ... दि0 1-11-2016
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photocopy attested

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

दिनांक 01/01/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बुढना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	विक्रमसिंह प्रधान	[signature]
	कुलदीपसिंह क्षेत्र पंचायत	K. Kandwal
	राकेशसिंह उपप्रधान	[signature]
	विमलादेवी सदस्य	विमला
	सुरवीरलाल "	सुरवीर
	आशादेवी "	आशा
	सरितादेवी "	सरिता
	सावित्रीदेवी "	सावित्री
	पुष्पादेवी "	
	भवानीसिंह "	
	कुंवरसिंह "	[signature]
	शरदसिंह पूर्व क्षेत्र पंचायत	शरदसिंह
	पारेश	पारेश
	भरतसिंह	भरतसिंह

Photocopy attested संलग्न है।

[signature]

AE

[signature]

ह0 /
ग्राम प्रधान

[stamp: प्रधान ग्राम पंचायत बुढना, ह0, दि0 1-1-2016]

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण (1.7500 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.7500 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक 19/09/2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [illegible] उपजिलाधिकारी जखोली ———— अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी जखोली ———— सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी जखोली ———— सदस्य/सचिव
4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र बुढना (जखोली) ———— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना हेतु 1.7500 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.7500 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

19-09-2016

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग।
उप जिलाधिकारी
जखोली

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड जखोली
जनपद रूद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी उप वन प्रभाग जखोली रूद्रप्रयाग

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...बुढना...तह...जखोली
जनपद-रूद्रप्रयाग

Photocopy attested
AL.

तहसीलदार
जखोली
जनपद रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–भैंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

Photocopy attested

A 2.35

संलग्नक - 8

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

रसौई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

Photocopy attested

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेड़ू से रा0इ0का बुढना नगेला–मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

Photocopy attested

AE

A-7 2.23

संलग्नक - 18

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेड़ू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के नव निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग

Photocopy attested

AE

M2.34 संलग्नक-11 Page No. 36

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेड़ू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए घान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

Photocopy attested

AE

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

मक डिस्पोजल प्लानिंग

Sr. No.	Material recived from hill side cutting 1/2 x 3m x 3000 x 3.m	13500	cum
	Material received from hill side cutting including 40% of swell factor	5400	cum
	Total	18900	Cum
	Disposal and Use of Material		
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:5	2700	cum
2	R.R. Stone Masonary laid dry	2700	cum
3	Hand packed Stone filling	1300	cum
4	Construction of Wire crate	800	cum
5	Construction of Parapet	200	cum
6	Granular sub base /base/surface	2200	cum
7	Construction of Scupper	850	cum
8	Construction of Road side Drain	350	cum
9	Super elevation & Patri filling	2300	cum
10	Concrete work	500	cum
11	Total	13900	cum
12	Material Disposal by Cartage	5000	cum

Summary of Dabries Disposal

Sr. No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in Dumping Zone
1	18900	5000 m³	13900	5000 m³

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Photocopy attested
AE

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

Detail of Muck Disposal Sites

S. No.	Location of Dumping Yard)	Owner of Land	Khasara No.	Area (in hectares)	Height of Dumping Zone (m)	Capacity of Dumping yard in cum	longitude /latitude
1	Km64, 0-2 of Tehri-Ghansali	[illegible] S/o [illegible]	6006	.04	4.50	1800.00	78°51'3.385"E 30°23'44.998"N
2	1/28	सोनदेई [illegible] [illegible]सिंह	6216	0.04	4.50	1800.00	78°51'29.498"E 30°23'11.299"N
3	2/36	कमलीदेवी [illegible] सिंह	6126	0.0324	4.50	1458.00	78°51'46.648"E 30°23'20.579"N

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Photocopy attested
AE

(14)

अनापत्ति प्रमाण--पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण /मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय

नाम–

ग्राम–

प्रधान ग्राम पंचायत बुढ़ना
ह०
दि० 1-1-2018
वि० ख० जखोली रूद्रप्रयाग

क्रास सैक्शन km-64 x-s 0/2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारों श्री .... पुत्र श्री .... ग्राम बुढना .... पटवारी वृत्त .... जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	खाता /खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टेयर में)
1	6006	0·04
2	6216	0·04
3	6126	0·0324
	योग	~~0·04~~ 0·1124

Photocopy attested

राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बुढना
तहसील जखोली
जनपद- रूद्रप्रयाग